कार्य का नामः– मा0मु0मं0 घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबांट राथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण कार्य के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लम्बाई 0.00 से 7.075 किमी0)।

::प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य::

वर्तमान में ग्राम रांथी गांव की लगभग 4873 जनसंख्या है। ग्राम–रांथी के लिए दोबांट से 7.075 किमी0 हल्का वाहन मार्ग का निर्माण किया गया है। जिसमें रांथी गांव के लिए बनाई गई हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण किया जाना अतिआवश्यक है। हल्का वाहन मार्ग अति दुर्गम क्षेत्र से गुजरता है। यातायात हेतु जो हल्का वाहन मार्ग बना है। उसकी चौड़ाई 3 से 4 मी0 के बीच है। जिस हेतु वाहनों को आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण यातायात हेतु परेशानी होती है एवं दुर्घटना आदि का खतरा बना रहता है। मार्ग संकरा होने से कई बार दुर्घटना हो चुकी है। जिस हेतु इस मार्ग का चौड़ीकंरण किया जाना अतिआवश्यक है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी, कृषि कार्य, भेड़ पालन आदि है।

मार्ग के चौड़ीकरण में आ रही न्यूनतम 5.175 है0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग के चौड़ीकरण में वृक्षों की संख्या भी न्यूनतम है। मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 के अन्तर्गत ली गई है। मोटर मार्ग का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया है। जो उचित पाया गया है। इस मार्ग में कोई ऐतिहासिक सार्वजनिक भवन, राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र, धार्मिक स्थल एवं कब्रिस्तान आदि नहीं पड़ रहे है। इस हल्का वाहन मार्ग के चौड़ीकरण से ग्रामवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास स्तर में वृद्धि होने से लोगो के पलायन को रोका जा सकेगा। एवं पर्वतीय उपयोगी उत्पाद प्राप्त होंगे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय जनता की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना अतिआवश्यक है। अतः कुल 5.175 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन के लिए यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

E:\Amin\MOU.doc